

कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, मोतीमहल, ग्वालियर

E-mail-ecmpgwl@hotmail.com

:: स्थाई परिपत्र आसवनी 2015-16/31 ::

ग्वालियर, दिनांक 28.04.2015

विषय:- देशी मदिरा भराई में प्रयुक्त लेबिल्स तथा ढक्कन के मानदण्डों का निर्धारण

--:0:--

इस कार्यालय के स्थाई परिपत्र क्रमांक-20/2010-11 ग्वालियर, दिनांक 10.02.2011 से देशी मदिरा भराई में प्रयुक्त लेबिल्स तथा ढक्कन के मानदण्डों का निर्धारण किया गया है।

2. ढक्कन के मानदण्ड पूर्वानुसार रखते हुये लेबिल्स के सन्दर्भ में निर्धारित मानदण्डों को समाप्त किया जाता है।

3. लेबिल्स मध्यप्रदेश देशी स्प्रिट नियम 1995 के नियम 3-च के अनुसार तैयार किये जाएंगे। लेबिल्स का आकार इस तरह निर्धारित किया जाएगा कि वह बोतल पर अच्छी तरह चस्पा हो सके। लेबिल पर्याप्त जीएसएम का हो तथा इतना बड़ा हो कि उसमें उपरोक्त नियम 3-च अनुसार लिखे गये सभी विवरण पठनीय हों। लेबिल्स का रंग इस तरह रखा जाए ताकि उसमें "शराब पीना स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है" शब्द समूह लाल अक्षरों से प्रिंट होकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे।



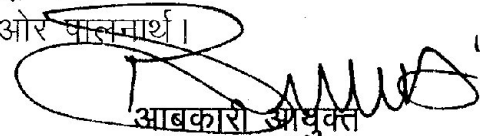
(राकेश प्रसाद)

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक-5(1)15-16/1516
प्रतिलिपि-

ग्वालियर, दिनांक 28.4.2015

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, भोपाल।
2. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
3. अपर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश (प्रशासन/तकनीकी)।
4. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. उपायुक्त आबकारी, मुख्यालय।
6. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, मध्यप्रदेश।
7. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश।
8. समस्त प्रभारी अधिकारी, देशी मदिरा विनिर्माणी इकाई, मध्यप्रदेश।
9. समस्त देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार आसवकों की ओर पालनार्थ।



आबकारी आयुक्त

मध्यप्रदेश